कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अंकित बाजपेई पुत्र श्री अजय कुमार बाजपेई, ब्रिज विहार कालोनी, अंटा चौराहा, शाहजहॉंपुर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**27 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-27 / 11, दिनांक 11.04.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **पापकार्न नमकीन (Popcorn Namkeen)** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से सुधीर कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि पापकार्न नमकीन के निर्माण एवं बिक्री का कार्य करते हैं । पफ्ड कार्न में तेल, मसाले व फ्लेवर आदि मिलाकर पापकार्न नमकीन तैयार किया जाता है । पापकार्न नमकीन पर कर की दर जाननी चाही गयी है । सुनवाई के समय श्री अंकित बाजपेई उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि मक्का के दाने से निर्मित पापकार्न नमकीन को बनाने के उपरान्त बी0ओ0पी0पी0 फिल्म पाउच में पैक करके उक्त की बिक्री की जाती है । अवगत कराया कि उनके अनुसार पापकार्न चूँकि मक्का के दानों से तैयार किया जाता है तथा मक्का उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक-8 पर अंकित है तथा करमुक्त है अत: मक्का से निर्मित पापकार्न पर भी कोई करदेयता नहीं होनी चाहिए ।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-8 निम्नवत् है :-

8	**Coarse grains** that is to say jowar, **maize (macca)**, ragi, bajra, kodon, barley and kutu, ramdana, singhara (whether fresh, dried or boiled), kutu flour and singhara flour; Sawan,mandua, kakun and manjhari (ankari) (*vide Noti.no.-KA.NI-2-67/XI-9(1)/08....dated10-01-08 effective from 1-1-08)*

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-137 निम्नवत् है :-

137	Sweetmeat, **namkeen** and sugar products, Kuliya, rewari and gazak (*vide Noti.no.-KA.NI-2-67/XI-9(1)/08....dated10-01-08 effective from 1-1-08)*

4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, बरेली सम्भाग-बी के पत्रांक-456, दिनांक 24.05.11 के

......2

द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार पापकार्न नमकीन (पफ्ड कार्न, ऑयल, मसाले व फ्लेवर युक्त) पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत करदेयता बनती है क्योंकि पापकार्न नमकीन किसी और अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक-8 पर अंकित वस्तु में केवल मक्का शामिल है। मक्का से निर्मित पापकार्न सम्मिलित नहीं है। यही नहीं मक्का से निर्मित पापकार्न में नमक, मसाला, तेल आदि मिला करके नई वस्तु तैयार होती है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-137 में नमकीन सम्मिलित है। पापकार्न नमकीन भी एक प्रकार का नमकीन है। अत: पापकार्न नमकीन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-137 में सम्मिलित होने के कारण **पापकार्न नमकीन** पर 4% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 15 नवम्बर, 2011

ह0 / 15.11.11

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।